प्रत्यायन पर चौथा विश्व सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नई दिल्ली में प्रत्यायन पर चौथे विश्व सम्मेलन (World Summit on Accreditation WOSA-2018) का आयोजन किया गया।

प्रत्यायन क्या है?

- प्रत्यायन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों और अन्य संगठनों का मूल्यांकन किया जाता है।
- प्रत्यायन का कार्य इस उद्देश्य के लिए नामित निकायों द्वारा ही किया जाता है।

WOSA क्या है?

- प्रत्यायन पर वैश्विक सम्मेलन (WOSA) का आयोजन दो वर्ष में एक बार किया जाता है जो प्रत्यायन के विषय पर भागीदारों को अपने ज्ञान एवं सूचनाओं को साझा करने हेतु मंच प्रदान करता है।
- इसका आयोजन राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Board of Accreditation) द्वारा किया जाता है।
- WOSA-2018 की थीम 'परिणाम-आधारित प्रत्यायन के समक्ष चुनौतियाँ एवं अवसर' (CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN OUTCOME BASED ACCREDITATION) है।

पूर्व में आयोजित WOSA	थीम
WOSA-2012	प्रत्यायन के माध्यम से उत्कृष्टता की प्राप्ति (Achieving Excellence through Accreditation)
WOSA-2014	शिक्षा योग्यता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता (International Recognition of Education Qualification)
WOSA-2016	परिणाम आधारित प्रत्यायन के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance through Outcome Based Accreditation)

WOSA-2018 के उप-विषय (sub-themes)

- उप-विषय 1 –अचीविंग एक्सीलेंस थ्रू लर्निंग आउटकम्स
- उप-विषय 2 –रोल ऑफ इंडस्ट्री इन टेक्नीकल एजुकेशन
- उप-विषय 3- रैंकिंग एंड रेटिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस- डू दे हैव ए रोल इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट?
- उप-विषय 4- लिंकिंग गवर्नमेंट फंडिंग विद क्वालिटी
- उप-विषय 5- यूज़ ऑफ आईसीटी इन एक्रेडिटेशन इन लार्ज ज्यूरिस्डिक्शंस

WOSA का महत्त्व

- WOSA-2018 अकादमिक क्षेत्र से जुड़े लोगों एवं उद्योग के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने हेतु भविष्य में की जाने वाली साझेदारियों के

लिये मंच ढूंढने एवं विश्व भर में छात्रों व पेशेवरों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिये खुली वार्ता का वातावरण तैयार करने का अवसर है।
- इसमें हिस्सा लेने वाले साझीदार वर्तमान में जारी वैश्विक प्रत्यायन प्रक्रियाओं की बेहतर समझ प्राप्त कर सकेंगे।
- शैक्षिक संस्थानों को विश्व भर के उद्योगों, नीति-निर्माताओं एवं प्रत्यायन एजेंसियों से बातचीत करने एवं उनके दृष्टिकोण को समझने का अवसर मिलता है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के बारे में

- राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Board of Accreditation- NBA) केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रत्यायन के माध्यम से भारत में पेशेवर एवं तकनीकी संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला एक स्वायत्त संस्थान है।
- इसकी स्थापना AICTE अधिनियम की धारा 10(प) के अंतर्गत वर्ष 1994 में की गई थी।
- NBA को जून 2014 से वॉशिंगटन समझौते के स्थायी हस्ताक्षरकर्त्ता का दर्जा प्रदान किया गया है।
- इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित परिणाम-आधारित मूल्यांकन एवं प्रत्यायन को अपनाया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/achieve-quality-to-get-freedom-Javadekar-tells-institutes